



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3006]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 2019/भाद्र 23, 1941

No. 3006]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2019/BHADRA 23, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2019

का.आ. 3286(अ).—गंगा नदी अत्यधिक पवित्र और इस देश के लोगों द्वारा अत्यन्त पूजनीय है तथा उसकी बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र के निबंधनानुसार भारत में बृहत्तम नदी बेसिन है तथा नदी प्रणाली में सिंचाई, घरेलू, औद्योगिकी और अन्य प्रयोजनों के लिए बेसिन में सदैव पानी की बढ़ती मांग के साथ घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट सहित विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण प्रवेश कर रहा है, जो नदी की स्वच्छता को लंबे समय से प्रभावित कर रहा है;

और, केंद्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गंगा नदी में हर समय पानी के निर्बाध प्रवाह को पूरी तरह से बनाए रखा जाए, जिससे मौसमी विभिन्नताओं के बदले बिना नदी में प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित हो सके;

और, भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 3187(अ) तारीख 7 अक्टूबर 2016 के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) द्वारा गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 जारी करने के साथ-साथ एक प्राधिकरण अर्थात् उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए गंगा नदी बेसिन के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गठित किया है;

और, केंद्रीय सरकार ने गंगा नदी में उसके चिन्हित हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना सं. का. आ. 5195 (अ) तारीख 9 अक्टूबर, 2018 को एक आदेश (उक्त आदेश) जारी किया था;

और, केंद्रीय जल आयोग ने प्रवाह के पर्यवेक्षण, विनियम और तिमाही रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता के आधार पर 11 जुलाई, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सिफारिश की गयी थी कि सभी विद्यमान परियोजनाओं में नियंत्रित गेट लगे स्पिलवे या जल मार्गों के माध्यम से निर्धारित ई-प्रवाह छोड़ने की व्यवस्था है और इसके लिए परियोजना के ढांचे में ढांचागत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है;

और केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय जल आयोग की उक्त सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

और केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि विद्यमान परियोजनाओं को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अनिवार्य पर्यावरणीय प्रवाह का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान परियोजनाओं को तीन वर्ष की अवधि की अनुमति अत्यधिक है और आवश्यक नहीं है।

अतः अब, गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के पैरा 39 के उप-पैरा (3) और पैरा 41 के उप-पैरा (2) की मद (ज) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त आदेश संख्या का. आ. 5195 (अ) तारीख 09 अक्तूबर 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् –

उक्त आदेश के पैरा 2 में, उप-पैरा III में, मद (ii) में “तीन वर्ष की अवधि के भीतर” शब्दों के स्थान पर “15 दिसंबर 2019 से पहले” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 05/46/2017-हाईड(एनई)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

टिप्पणः मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 10 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. का.आ. 5195(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

ORDER

New Delhi, the 14th September, 2019

S.O. 3286(E).—Whereas, the river Ganga is the most sacred and deeply revered by the people of this country and its river basin is the largest river basin in India in terms of catchment area and the ever increasing demand for water in the basin for irrigation, domestic, industrial and other purposes coupled with pollution ingress from different sources including domestic waste, industrial waste, into river system is affecting the health of the said river for long;

And whereas, the Central Government is considered necessary to ensure that uninterrupted flows of water are maintained throughout its length at all times in river Ganga to ensure continuity of flows in the river without altering the seasonal variations;

And whereas, *vide* notification number S.O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation made the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, *inter alia*, constituting an authority, namely, the National Mission for Clean Ganga for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga basin for various purposes specified therein in the said notification;

And whereas the Central Government issued an Order *vide* notification number S.O. 5195(E), dated the 9th October, 2018 (the said Order) specifying the minimum environmental flows to be maintained in river Ganga in the identified stretches;

And whereas, the Central Water Commission in its capacity as the designated Authority for supervision, regulation of flows and reporting on quarterly basis to the National Mission for Clean Ganga, submitted a report dated 11th July, 2019 recommending that all the existing projects have provision for releasing the mandated e-flow through controlled gated spillways or water ways, and structural modifications in the body of the project may not be required for the same;

And whereas, the said recommendations of the Central Water Commission have been considered by the Central Government;

And whereas, the Central Government is of the view that the time period of three years allowed to the existing projects to ensure proper compliance of the mandated environmental flows specified in the said Order, is excessive and not necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with sub-paragraph (3) of paragraph 39 and item (h) of sub-paragraph (2) of paragraph 41 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management)

Authorities Order, 2016, the Central Government hereby makes the following amendments in the said Order number S.O. 5195(E), dated the 9th October, 2018, namely:—

2. In the said Order, in paragraph 2, in sub-paragraph III, in item (ii), for the words “within a period of three years from the date of issue of this Order”, the words, letters and figures “before 15th December, 2019” shall be substituted.

[F. No. 05/46/2017-Hyd (NE)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.)

Note : The principal Order was published *vide* notification number S.O. 5195(E), dated the 9th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 10th October, 2018.